बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन
(लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग)
विश्वेश्वरैया भवन परिसर, बेली रोड, पटना–16

कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश संख्या:– पी.एच./बि.ज.स्वा.मि.–1023/2012– 04 , दिनांक:– 04-04-2013

विश्व बैंक की सहायता से राज्य में ग्रामीण जलापूर्ति एवं स्वच्छता परियोजना (Rural Water Supply and Sanitation Project for Low Income States) का क्रियान्वयन वर्ष 2013–14 से प्रस्तावित है। इस परियोजना के कार्यान्वयन हेतु बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (BSWSM) के अधीन राज्य स्तर पर State Project Management Unit (SPMU) का गठन किया जाना है। दिनांक 22.02.2013 को BSWSM की गवर्निंग बॉडी (एपेक्स समिति) की बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में SPMU का गठन निम्न प्रकार किया जाता है :–

क. **SPMU की संरचना :**

SPMU के लिए पदाधिकारियों/कर्मियों एवं Consultants/Specialists की संरचना निम्नांकित है :

1.	निदेशक, पी0एम0यू0 (Director, PMU)	1 (अधीक्षण अभियंता के समकक्ष)
2.	उप निदेशक, जल (Dy. Director, Water)	1 (कार्यपालक अभियंता के समकक्ष)
3.	उप निदेशक, स्वच्छता (Dy. Director, Sanitation)	1 (कार्यपालक अभियंता के समकक्ष)
4	सहायक निदेशक, जल (Assistant Director, Water)	1 (सहायक अभियंता के समकक्ष)
5.	सहायक निदेशक, स्वच्छता (Assistant Director, Sanitation)	1 (सहायक अभियंता के समकक्ष)
6.	परियोजना पर्यवेक्षक (Project Supervisors)	2 (कनीय अभियंता के समकक्ष)

उपरोक्त पदाधिकारी लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से प्रतिनियुक्ति के आधार पर रखे जाएँगे। विभागीय पदाधिकारियों के उपलब्ध नहीं होने पर संविदा के आधार पर रखा जाएगा।

7.	कार्यालय सहायक (Office Assistants)	3
8.	डाटा इन्ट्री ऑपरेटर्स (Data Entry Operators)	4
9.	चपरासी (Peons)	3

उपरोक्त क्रमांक 7, 8 एवं 9 पर अंकित कर्मी लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से प्रतिनियुक्ति के आधार पर रखे जाएँगे। विभागीय कर्मियों के उपलब्ध नहीं होने पर outsourcing के आधार पर रखा जाएगा।

10.	परामर्शी/विशेषज्ञ (Consultants/ Specialists)	7 (Social Development & Communication Specialist-1; Environment Specialist-1; Financial Management Specialist-1; Monitoring & Evaluation Specialist-1; Procurement Specialist-1; Institutional Specialist-1; Technical Specialist-1)

उपरोक्त परामर्शियों/विशेषज्ञों को संविदा के आधार पर रखा जाएगा। इन्हें एकमुश्त मासिक मानदेय ₹ 70,000–80,000 दिया जाएगा। इसके अलावे इन्हे कोई भत्ता (Outstation TA/DA छोड़कर) देय नहीं होगा।

उपरोक्त क्रमांक 1 से 9 तक अंकित पदाधिकारियों/कर्मियों को संविदा/outsourcing के आधार पर रखे जाने की स्थिति में इन्हें निम्न प्रकार एकमुश्त मासिक मानदेय दिया जाएगा। इसके अलावे इन्हें कोई भत्ता (Outstation TA/DA छोड़कर) देय नहीं होगा।

(i)	निदेशक, पी0एम0यू0	₹ 80,000 – 90,000	(संविदा के आधार पर)
(ii)	उप निदेशक, जल/ स्वच्छता	₹ 60,000 – 70,000	– वही –
(iii)	सहायक निदेशक, जल/ स्वच्छता	₹ 30,000 – 40,000	– वही –
(iv)	परियोजना पर्यवेक्षक	₹ 20,000 – 30,000	– वही –
(v)	कार्यालय सहायक	₹ 15,000 – 20,000	(Outsourcing के आधार पर)
(vi)	डाटा इन्ट्री ऑपरेटर	₹ 10,000 – 15,000	– वही –
(vii)	चपरासी	₹ 8,000 – 10,000	– वही –

संविदा/Outsourcing के आधार पर रखे जाने वाले पदाधिकारियों/कर्मियों/विशेषज्ञों को मानदेय का भुगतान NRDWP (Support Fund) से किया जाएगा।

ख. **SPMU के मुख्य कार्य :**

SPMU के निम्नलिखित मुख्य कार्य होंगे :–

- विश्व बैंक सम्पोषित पेयजल एवं स्वच्छता परियोजना का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण।
- परियोजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण में BSWSM एवं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार सरकार को तकनीकी (Technical) एवं प्रबंधकीय (Managerial) सहायता प्रदान करना।
- विश्व बैंक तथा पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार के साथ समन्वय।
- जिलों में क्रियान्वित योजनाओ के संबंध में नियमित रूप से जिलों के साथ समन्वय एवं प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त करना तथा बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन की ओर से बैंक एवं पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार को प्रगति प्रतिवेदन उपलब्ध कराना।
- बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य।

ग. **कार्यालय स्थान :**

SPMU विभागीय मुख्यालय भवन के प्रथम तल में अवस्थित होगा।

ह0/–
(रबीन्द्र पवांर)
प्रधान सचिव
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
–सह–
सदस्य सचिव, एपेक्स समिति
बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन

C:\Users\Admin\Desktop\...\BSWSM.docx

ज्ञापांक: पी.एच. / बि.ज.स्वा.मि.–1023 / 2012– 331 पटना, दिनांक:– 04.04.2013

प्रतिलिपि:

1. विकास आयुक्त / प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग / प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग / प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, प्रधान सचिव, वित्त विभाग / प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग / प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग / सचिव, सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग / सचिव, ग्रामीण विकास विभाग / राज्य प्रतिनिधि, यूनिसेफ पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
2. अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग / मुख्य अभियंता (नागरिक) / मुख्य अभियंता (रूपांकण) / क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, पटना प्रक्षेत्र / मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र / भागलपुर प्रक्षेत्र / पूर्णियाँ प्रक्षेत्र / अधीक्षण अभियंता (मोनिटरिंग) / विशेष पदाधिकारी / कार्यपालक अभियंता (मो0) / कार्यपालक अभियंता(मो0 / मू0) / कार्यपालक अभियंता (मो0–1) / उप निदेशक(मूल्यांकण) / उप निदेशक (अन्वेषण) / निदेशक, पी0एम0यू0 / निदेशक, सी0सी0डी0यू0 / प्रशाखा पदाधिकारी 1 / 4 / 6 / सहायक पी0एम0यू0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. सभी जिला पदाधिकारी / सभी उप विकास आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. सभी अधीक्षण अभियंता / सभी कार्यपालक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4.4.13

(रवीन्द्र पवांर)
प्रधान सचिव
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
–सह–
सदस्य सचिव, एपेक्स समिति
बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन

C:\Users\Admin\Desktop\day work Mar 2013\Office order_BSWSM.docx